**प्रसंविदा भंग होने के कारण अभिधृति के समपहरण के आधार पर बेदखली के लिए वाद**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित किया गया वादी निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक निवेदन करता है -**

1. यह कि वादी ने तारीख .................... को पट्टे के विलेख के जरिये .................... रुपये के एक मासिक किराये पर तारीख .................... को प्रतिवादी को .................... नगर .................... मोहल्ला में .................... में स्थित भवन सं . .................... का पट्टे पर दिया।
2. यह कि पट्टा के कथित विलेख में यह प्रसंविदा की गयी कि प्रतिवादी ब्रिटिश कलेण्डर के प्रत्येक महीने की 19वीं तारीख से नियमित तौर पर किराये का संदाय करेगा और यदि वह क्रमशः किन्हीं तीन महीनों का संदाय करने में विफल हो जाता है या किसी निकाय या व्यक्ति को कथित भवन का कोई भाग उप पट्टे पर दे देता है या यदि वह वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिए भवन या किसी भाग का प्रयोग करता है या भवन निर्माण में कोई भी परिवर्तन करता है तो अभिधृति को स्वचालित ढंग से समाप्त हो गया समझा जायेगा और प्रतिवादी उन नुकसानियों तथा अन्तःकालीन लाभ सहित बेदखल किया जाने योग्य होगा जिनके लिए उसे उत्तरदायी पाया जायेगा।
3. यह कि प्रतिवादी .................... रुपये के बराबर होने वाली तारीख .................... से .................... तक प्रारम्भ होने वाले अंतिम पांच महीनों के किराये का भुगतान करने में असफल हो गया और अभिधृति स्वचालित ढंग से समाप्त कर दी जाती है और प्रतिवादी बेदखल कर दिया जाने एवम् बकाया किराया एवम अन्तःकालीन लाभों के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि उसकी अभिधृति को समाप्त करने वाली एक नोटिस की कानून द्वारा यथापेक्षित तारीख .................... को उसको तामील करायी गयी।
4. यह कि वाद हेतुक तारीख .................... को उत्पन्न हुआ जब किरायेदार तारीख .................... से .................... तक लगातार तीन महीनों का किराया संदाय करने में असफल हो गया और इस न्यायालय के पास वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती है।
5. यह कि वाद का मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ भवन के संपूर्ण किराये के बारह गुने पर किया जाता है और न्यायालय फीस के संदाय के प्रयोजनार्थ .................... रुपये व तथा न्यायालय फीस लेबलों में .................... रुपये का संदाय दावाकृत अनुतोषों के अनुसार किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोष**

वादी निम्नलिखित अनुतोषों का दावा करता है

1. प्रतिवादी को उपर्युक्त भवन से बेदखल कर दिया जाय और कब्जा वादी को परिदत्त किया जाय।
2. पाँच महीनों तथा वादकालीन लाभ के लिए संदेय किराये की रकम के रूप में .................... रुपये का भुगतान।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी